



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 4152/2015

आदेश सुरक्षित किया गया :28.04.2025

आदेश पारित किया गया :16.07.2025

1. शैलेंद्र सोनी पिता श्री मनहरण लाल सोनी, 41 वर्ष, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय अनुभाग में अनुवादक के पद पर कार्यरत, निवासी आर.के. लेन, नंदू गैरेज के पास, तेलीपारा, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा बिलासपुर, रायपुर रोड, बोदरी, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़
2. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़
3. श्री विजय कुमार मिंज, पिता श्री फरदिन्त मिंज, 30 वर्ष, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय अनुभाग में सहायक ग्रेड-I के पद पर कार्यरत, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादी

याचिकाकर्ता हेतु :-- श्री शैलेंद्र सोनी व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता

उत्तरवादी हेतु :-- श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव, अधिवक्ता

माननीय श्री नरेंद्र कुमार व्यास, न्यायाधीश

(सीएवी आदेश)

1. याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 09.09.2015 के आदेश को अभिखण्डित करने के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की है, जिसमें परीक्षा अवधि बढ़ाने और अनुवादक के पद पर विलंबित स्थायीकरण को 28.02.2014 के स्थान पर 09.07.2015 से प्रभावी करने का प्रावधान है।



2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:--

"क) उच्च न्यायालय ने अनुवादक के पद हेतु एक विज्ञापन प्रकाशित किया और याचिकाकर्ता ने अन्य उम्मीदवारों के साथ उक्त पद के लिए आवेदन किया। परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, याचिकाकर्ता तथा उत्तरवादी संख्या 3 को 29.02.2012 को दो वर्ष की परीक्षा अवधि हेतु अनुवादक के पद पर नियुक्त किया गया था, और उन्होंने 03.03.2012 को सेवा में कार्यभार ग्रहण किया था।

ख) उत्तरवादी संख्या 3 को 2 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 07.03.2014 से अनुवादक के पद पर स्थायी किया गया था और उसे 27.01.2015 को सहायक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नत किया गया था, हालाँकि वह याचिकाकर्ता से कनिष्ठ था, जो नियमों के विरुद्ध है। यह भी तर्क दिया गया है कि विधि की सुस्थापित स्थिति के तहत एक लोक सेवक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (संक्षेप में "एसीआर") में प्रत्येक प्रविष्टि उसे उचित अवधि के भीतर बताई जानी चाहिए, लेकिन परीक्षा अवधि के विस्तार तक याचिकाकर्ता की एसीआर उसे बिना किसी कारण के उसे सूचित नहीं की गई थी।

ग) यह भी तर्क दिया गया है कि वर्ष 2013-14 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) उन्हें 31.02.2013 को उपलब्ध करा दी गई थी और उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है, जिससे याचिकाकर्ता को स्थायीकरण तथा पदोन्नति से वंचित किया जा सके। याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में न तो कोई प्रतिकूल प्रविष्टि की गई है, न ही उसके विरुद्ध कोई परिवाद या जाँच लंबित है और यहाँ तक कि उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा उसे पदोन्नति और स्थायीकरण से वंचित करने के लिए कोई प्रतिकूल टिप्पणी भी नहीं की गई है।

घ) याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उसने 29.04.2015 को उत्तरवादी संख्या 2 को अपना विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था ताकि उसे स्थायी किया जा सके और उत्तरवादी संख्या 3 से उसकी वरिष्ठता को बनाए रखते हुए पदोन्नति प्रदान की जा सके, परंतु उन्होंने 07.09.2015 को याचिकाकर्ता को अनुवादक के पद पर तत्काल प्रभाव से स्थायी करने का आदेश पारित कर दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि दो वर्ष की परीक्षा अवधि के बाद की सेवा अवधि को याचिकाकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन में उठाई गई शिकायत पर विचार किए बिना ही मान लिया जाएगा। उपरोक्त तथ्यात्मक आधार पर, उसने 09.09.2015 के आदेश को अभिखण्डित करने का अनुरोध किया है, जहाँ तक उसकी परीक्षा अवधि बढ़ाई गई है और उसे सहायक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है।"

3. उच्च न्यायालय ने अपना जवाब, मुख्य रूप से यह तर्क देते हुए दाखिल किया कि याचिकाकर्ता ने 03.03.2012 को अपनी सेवा में कार्यभार ग्रहण किया था और 02.03.2014 को दो वर्ष की परीक्षा पूरी होने पर उत्तरवादी संख्या 3 और अन्य कर्मचारियों के साथ उसके प्रकरण पर विचार किया गया था, परंतु सुसंगत समय पर याचिकाकर्ता की एसीआर उपलब्ध नहीं थी क्योंकि उसकी नियुक्ति फरवरी-मार्च, 2012 में हुई थी, इसलिए संबंधित रिपोर्टिंग प्राधिकारी से कार्य और आचरण रिपोर्ट मांगी गई थी जो अच्छी और औसत



नहीं पाई गई थी, तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने उसकी पुष्टि से संबंधित प्रकरण को स्थगित कर दिया। यह भी तर्क दिया गया है कि रिपोर्टिंग प्राधिकारी से पुनः कार्य एवं आचरण रिपोर्ट मांगी गई थी, जिन्होंने अपने ज्ञापन दिनांक 01.07.2015 द्वारा रिपोर्ट दी थी कि उनका कार्य अच्छा है और उन्हें अनुवादक के पद पर स्थायी किया जा सकता है। तदनुसार, दिनांक 09.09.2015 का आदेश जारी किया गया था, जो विधिसम्मत, न्यायोचित और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2003 (संक्षेप में "नियम 2003") के अनुरूप है, अतः इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक 27.01.2015 से सहायक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नति का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को अनुवादक के पद पर 09.09.2015 को स्थायी किया गया था, अतः वह सहायक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नति के लिए योग्य नहीं था। अतः उसके प्रकरण पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि वर्ष 2013-14 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट याचिकाकर्ता को 30.03.2015 को प्रेषित की गई थी, जो प्रशासनिक निर्देश के अंतर्गत निर्धारित समयावधि के भीतर है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता का दिनांक 03.10.2015 का अभ्यावेदन 02.12.2015 को खारिज कर दिया गया है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, अतः रिट याचिका पोषणीय नहीं है तथा यह खारिज किये जाने योग्य है।

4. याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि याचिकाकर्ता का प्रकरण अनुवादक के पद पर पुष्टि के लिए स्थगित कर दिया गया है, परंतु शरद कुमार यादव, आशुलिपिक को पुष्टि की गई थी, हालांकि उनका एसीआर उपलब्ध नहीं था और इस तरह, उत्तरवादीगण द्वारा बिना सोचे-समझे चयन की नीति अपनाई गई है। आगे यह तर्क दिया गया है कि नियम 2003 के नियम 10(1)(सी) के अनुसार सामान्यतः परीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन उनकी परीक्षा अवधि को नियमों से परे बढ़ा दिया गया है, इस प्रकार, तीन वर्ष से अधिक परीक्षा अवधि का विस्तार अवैध है और दो वर्ष की परीक्षा अवधि पूरी होने के बाद उन्हें उक्त पद पर स्थायी माना जाएगा। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि सामान्यतः की व्याख्या असाधारण परिस्थिति के बजाय सामान्य या अपेक्षित कार्यवाही को दर्शाने के लिए की जाती है, अतः उत्तरवादी द्वारा तीन वर्ष से अधिक समय के बाद उसकी परीक्षा अवधि का विस्तार अवैध है, इसलिए, उत्तरवादी संख्या 3 को सहायक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नत करने वाला दिनांक 27.01.2015 का आदेश (अनुलग्नक P/2) और दिनांक 07.09.2015 का आदेश, जैसा कि 15.10.2015 को संशोधित किया गया था, अभिखंडित किए जाने योग्य हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि यदि प्राधिकारी ने परीक्षा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया था, तो उन्हें कारण बताना चाहिए था। वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है, इसलिए, परीक्षा अवधि बढ़ाने के संबंध में दिया गया आक्षेपित आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम धरम सिंह और दयाराम दयाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (1997 (7) एससीसी 440) के प्रकरण में निर्धारित विधि के विरुद्ध है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिकूल एसीआर की सूचना न दिए जाने के कारण, इसका महत्व समाप्त हो गया है तथा उत्तरवादीगण को उनके प्रकरण पर विचार करना चाहिए था। अपने तर्क को पुष्ट करने हेतु उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के देवी दत्ता बनाम भारत संघ



(2008) (8) एससीसी 725) और सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य (2013) (9) एससीसी 566) के प्रकरण में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया है। उन्होंने आगे कहा है कि छ.ग. सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 के नियम 12(1)(ए) के अनुसार, पहले चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति, बाद के चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होगा और नियम 12(1)(एफ) के अनुसार, कर्मचारी को मूल वरिष्ठता बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी, जहां परीवीक्षा अवधि का विस्तार कर्मचारियों की किसी त्रुटि या कमियों के कारण नहीं है। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरद मूर्ति मिश्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (2020 में प्रतिवेदित) (7) एससीसी 509), सीधी भर्ती वर्ग-II इंजीनियरिंग अधिकारी संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (1990 में प्रतिवेदित) (2) एससीसी 715), डॉ. (कैप्टन) अखौरी रमेश चंद्र सिन्हा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (1996 में प्रतिवेदित) (2) एससीसी 20) के निर्णयों का उल्लेख किया है तथा याचिका को स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

5. दूसरी ओर, उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में दिए गए तर्क को दोहराते हुए कहा कि नियुक्ति आदेश दिनांक 29.02.2012 (अनुलग्नक R/1) में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि परीवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी होने पर या जब तक कर्मचारी का स्थायीकरण नहीं हो जाता है, तब तक उसे परीवीक्षा पर माना जाएगा। नियुक्ति आदेश दिनांक 29.02.2012 का सुसंगत खंड नीचे पुनः प्रस्तुत है:--

"परीवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण न होने पर परीवीक्षा अवधि एक वर्ष तक और बढ़ायी जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाए तब तक उन्हें परीवीक्षा पर माना जायेगा।"

उपर्युक्त खंड में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि जब तक स्थायीकरण आदेश पारित नहीं हो जाता है, तब तक कर्मचारी को परीवीक्षा पर माना जाएगा। याचिकाकर्ता ने 03.03.2012 को अपनी सेवा में कार्य भार ग्रहण किया था और 02.03.2014 को परीवीक्षा के प्रारंभिक दो वर्ष पूरे होने पर, उनके प्रकरण को अन्य कर्मचारियों के साथ स्थायीकरण के लिए संसाधित किया गया, जिसमें उत्तरवादी संख्या 3 भी शामिल था, जिसने सेवा में कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष पूर्ण कर लिए थे। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि संबंधित समय पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी क्योंकि नियुक्तियां फरवरी-मार्च, 2012 में की गई थीं, इसलिए संबंधित रिपोर्टिंग प्राधिकारी से याचिकाकर्ता के साथ-साथ उत्तरवादी संख्या 3 की कार्य और आचरण रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्टिंग प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के कार्य और आचरण को 'अच्छा नहीं और औसत' बताया। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने उसकी स्थायीकरण से संबंधित प्रकरण को स्थगित करने का निर्णय लिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता के कार्य और आचरण का और अवलोकन किया गया और रिपोर्टिंग प्राधिकारी से पुनः रिपोर्ट मांगी गई, जिन्होंने दिनांक 01.07.2015 के ज्ञापन द्वारा याचिकाकर्ता के कार्य और आचरण को "अच्छा" बताया और कहा कि उसे अनुवादक के पद पर स्थायी किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के कार्य और आचरण की रिपोर्ट उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तदनुसार, याचिकाकर्ता को दिनांक 09.09.2015 से प्रभावी, नियम 2003 के नियम 10(2) के अनुसार स्थायी किया गया, अतः दिनांक 09.09.2015 के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है।



6. उन्होंने आगे यह भी कहा कि नियोक्ता को स्थायीकरण से पहले परीक्षाधीन व्यक्ति के कार्य, आचरण और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का अधिकार है। रिपोर्टिंग प्राधिकारी द्वारा दिये गये कार्य और आचरण रिपोर्ट के संबंध में कोई विवाद नहीं होने के कारण, स्थायीकरण आदेश को चुनौती देने योग्य नहीं है। जहां तक याचिकाकर्ता के 27.01.2015 से सहायक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नति के दावे का संबंध है, यह बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता को 09.09.2015 से अनुवादक के पद पर पुष्टि की गई है और वह 27.01.2015 से सहायक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नति के लिए योग्य नहीं था, जिसका मानदंड अनुवादक के पद से सख्ती से योग्यता सह वरिष्ठता है। याचिकाकर्ता और उत्तरवादी संख्या 3, जिनकी परीक्षा अवधि 07.03.2014 से सफलतापूर्वक पूरी होने पर पुष्टि की गई थी और परिणामस्वरूप नियमों के तहत अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने पर उन्हें अगले उच्च पद पर पदोन्नत किया गया है, के प्रकरण में कोई समानता नहीं है और वे रिट याचिका को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत निवेदन से, इस न्यायालय द्वारा निर्धारण हेतु निम्नलिखित बिन्दु उभर कर आया है:--

“क्या 2003 के नियमों के अनुसार स्वतः स्थायीकरण हेतु किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, याचिकाकर्ता को दो वर्ष की परीक्षा अवधि पूरी होने के पश्चात 28.02.2014 को स्थायी माना जाएगा?”

चर्चा तथा निष्कर्ष:---

9. याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए गए निवेदन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का आशय यह है कि दो वर्ष की सेवा पूरी होने पर उसे स्थायी मान लिया जाएगा और तीन वर्ष से अधिक परीक्षा अवधि का विस्तार अवैध है। यह निवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य है क्योंकि नियुक्ति आदेश में ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि परीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी, जब तक कि उसे स्थायी नहीं कर दिया जाता, वह केवल परीक्षा पर ही रहेगा। नियम 2003 के नियम 10(2) में यह भी प्रावधान है कि परीक्षा अवधि पूरी होने पर, जैसा भी प्रकरण हो, परीक्षाधीन या पदोन्नत व्यक्ति, यदि कोई स्थायी पद उपलब्ध है, तो उसे सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा और यदि कोई स्थायी पद उपलब्ध नहीं है, तो उसे स्थायी कर दिए जाने का प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। यह नियम स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि स्थायीकरण के लिए कोई विचार नहीं किया जाएगा और कर्मचारी को पहले परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करनी होगी और स्थायी पद उपलब्ध होना चाहिए। परीक्षा अवधि पूरी होने के बाद यह माना गया स्थायीकरण सदैव विभिन्न मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, 1974 (2) एससीसी 831 के प्रकरण में कंडिका 71 और 72 में निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया है:---



“71. वर्तमान प्रकरण में किसी भी प्रकार की पुष्टि को अस्वीकार किया जाता है क्योंकि तीन वर्ष पूरे होने से पहले ही उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि अपीलकर्ता का कार्य और आचरण असंतोषजनक था और अपीलकर्ता को 4 अक्टूबर, 1968 को एक नोटिस दिया गया था कि कारण बताओ नोटिस में पूछा जाए कि उसकी सेवाएँ क्यों न समाप्त कर दी जाएँ। इसके अलावा, नियम 9 यह दर्शाता है कि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की नियुक्ति, परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसके अंत में, समाप्त करने का प्रस्ताव किया जा सकता है। इससे यह संकेत मिलता है कि जहाँ परिवीक्षा अवधि के अंत में नोटिस दिया जाता है, वहाँ परिवीक्षा अवधि नियम 9 के तहत नोटिस द्वारा शुरू की गई जाँच कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ा दी जाती है। इस पृष्ठभूमि में, नियम 7(1) का स्पष्टीकरण यह दर्शाता है कि यदि किसी अधीनस्थ न्यायाधीश की परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पुष्टि नहीं की जाती है, तो परिवीक्षा अवधि को निहित रूप से बढ़ा हुआ माना जाएगा। यह निहित विस्तार, जहाँ अधीनस्थ न्यायाधीश को परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी नहीं किया जाता है, धरम सिंह मामले (सुप्रा) में नहीं पाया जाता है। वर्तमान प्रकरण में इस स्पष्टीकरण का अर्थ यह नहीं है कि परिवीक्षा अवधि का निहित विस्तार केवल दो से तीन वर्षों के बीच है। इसके विपरीत स्पष्टीकरण का अर्थ है कि अधिकतम तीन वर्षों की परिवीक्षा अवधि के संबंध में प्रावधान प्रत्यक्ष रूप से है, न कि धरम सिंह प्रकरण (सुप्रा) के विपरीत अनिवार्य है और यह कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को वास्तव में तब तक स्थायी नहीं किया जाता है जब तक कि स्थायीकरण का आदेश नहीं दिया जाता है।

72. इस संदर्भ में नियम 7(3) के परंतुक का संदर्भ लिया जा सकता है। नियम के परंतुक में कहा गया है कि अधिकतम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर उसे संवर्ग में स्थायी रिक्ति होने तक स्थायी होने का अधिकार नहीं मिलेगा। नियम 7(3) में कहा गया है कि स्थायीकरण का स्पष्ट आदेश आवश्यक है। नियम 7(3) का परंतुक नकारात्मक रूप में है कि अधिकतम तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर उसे संवर्ग में स्थायी रिक्ति होने तक स्थायी होने का अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। अतः परिवीक्षा की अवधि तब तक के लिए बढ़ा दी जाती है जब तक कि अपीलकर्ता जैसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती है, ताकि सरकार यह निर्णय ले सके कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी किया जाए या उसकी सेवाएँ समाप्त की जाएँ। वर्तमान प्रकरण में तथ्यों और परिस्थितियों तथा पूर्वोक्त नियम 7(1) और 7(3) के अर्थ और प्रवर्तन के आधार पर कोई भी पुष्टि निहितार्थ से उत्पन्न नहीं हो सकती है।”

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में, रजिस्ट्रार एवं अन्य बनाम सत्य नारायण झावर के माध्यम से, 2001 (7) एससीसी 161 831 के कंडिका¹¹ में रिपोर्ट किया गया तथा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:—

“11. सेवा में स्थायीकरण माने जाने का प्रश्न न्यायशास्त्र, जो कि सुसंगत सेवा नियमों की भाषा पर निर्भर है, इस न्यायालय के समक्ष विभिन्न निर्णयों में अनगिनत बार विचार का विषय रहा है और इस बिंदु पर तीन प्रकार के प्रकरण हैं। प्रकरणों की एक पंक्ति वह है जहाँ सेवा नियमों या नियुक्ति पत्र में परिवीक्षा की अवधि निर्दिष्ट की जाती है और इसे बढ़ाने की शक्ति भी प्राधिकारी को परिवीक्षा की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित किए बिना



प्रदान की जाती है और यदि अधिकारी निर्धारित या विस्तारित अवधि से आगे जारी रहता है, तो उसे स्थायी नहीं माना जा सकता है। ऐसे प्रकरणों में परीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय समाप्ति पर कोई रोक नहीं है। अन्य प्रकरण में, जहाँ नियमों में प्रारंभिक परीक्षा और उसके विस्तार का प्रावधान है, वहीं ऐसे विस्तार के लिए एक अधिकतम अवधि भी प्रदान की गई है जिसके आगे परीक्षा का विस्तार करना अनुमत नहीं है। ऐसे प्रकरण में निष्कर्ष यह है कि यदि परीक्षा की अधिकतम अवधि समाप्त होने से पहले सेवा समाप्ति का आदेश पारित नहीं किया गया है, तो संबंधित अधिकारी को परीक्षा की अधिकतम अवधि समाप्त होने पर स्थायी मान लिया जाएगा। अंतिम प्रकरण वे हैं जहाँ नियमों के तहत परीक्षा की अधिकतम अवधि निर्धारित है, लेकिन इसके लिए नियोक्ता की ओर से स्थायीकरण का आदेश जारी करने और स्थायीकरण के प्रयोजनों के लिए एक परीक्षा उत्तीर्ण करने जैसे विशिष्ट कार्य की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रकरण में, भले ही परीक्षा की अधिकतम अवधि समाप्त हो गई हो और न तो कोई स्थायीकरण आदेश पारित किया गया हो और न ही संबंधित व्यक्ति ने अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे केवल इस आधार पर स्थायी नहीं माना जा सकता कि उक्त अवधि समाप्त हो गई है।”

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय गुजरात एवं अन्य बनाम सी.जी. शर्मा के प्रकरण में, 2005 (1) एससीसी 132 831 के कंडिका 26 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“26. दोनों पक्षों द्वारा हमारे समक्ष बड़ी संख्या में प्राधिकारियों का उल्लेख किया गया था। हालाँकि, इन सभी मामलों के विवरण में जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि नियम 5 का उप-नियम 4, महाराष्ट्र राज्य बनाम वीरप्पा सबोजी एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में विचाराधीन नियम के समतुल्य है और हम पाते हैं कि यदि दो वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है और परीक्षाधीन व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के बाद भी सेवा जारी रखने की अनुमति दे दी जाती है, तो भी स्वतः स्थायीकरण का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि नियमों के अनुसार, कार्य संतोषजनक होना चाहिए जो स्थायीकरण के लिए एक पूर्वापेक्षा या पूर्व-शर्त है और इसलिए, यदि परीक्षाधीन व्यक्ति को नियम में उल्लिखित दो वर्ष की अवधि से आगे भी सेवा जारी रखने की अनुमति दे दी जाती है, तो भी मानित स्थायीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। नियम की भाषा ही मानित या स्वतः स्थायीकरण देने की किसी भी संभावना को समाप्त करती है क्योंकि स्थायीकरण तभी किया जाना चाहिए जब कोई रिक्ति हो और कार्य संतोषजनक पाया जाता है। स्थायीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं है और इसलिए, इस नियम की भाषा के आलोक में मानित स्थायीकरण को खारिज किया जाता है। अतः, हमारा मानना है कि इस पहलू पर उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों में कोई सार नहीं है और न ही कोई आधार है। विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीश उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर कोई स्वतः स्थायीकरण नहीं होता है और उक्त दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर, स्थायीकरण आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है जब कोई रिक्ति हो और कार्य संतोषजनक पाया जाए। नियम यह भी नहीं कहता है कि नियम में उल्लिखित दो वर्ष की परीक्षा अवधि, परीक्षा की अधिकतम अवधि है और परीक्षा को दो वर्ष की अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अतः, हमारा मत है



कि स्वतः या मान्य पुष्टि का कोई प्रश्न ही नहीं है, जैसा कि उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है।

अतः, हम इस विवादक का उत्तर नकारात्मक रूप में तथा उत्तरवादी के विरुद्ध देते हैं।”

12. 2003 के नियमों, याचिकाकर्ता के नियुक्ति आदेश और इस विषय पर कानून पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि नियमों में किसी भी प्रकार की स्थायीकरण की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कर्मचारी को परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करनी होती है और नियमों में परीक्षा अवधि बढ़ाने का प्रावधान है, तथा स्थायी पद उपलब्ध होना चाहिए, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को पद पर स्थायी माना गया है। परीक्षा अवधि का सफलतापूर्वक पूरा होना यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता का कार्य और आचरण अच्छा होना चाहिए, तभी वह परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद योग्य हो सकता है। वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता का कार्य और आचरण अच्छा और औसत नहीं था, जो स्थायीकरण के लिए याचिकाकर्ता की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए आवश्यक है।

13. जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए इस तर्क का प्रश्न है कि याचिकाकर्ता की कार्य और आचरण रिपोर्ट, एसीआर का एक विकल्प थी, ऐसे प्रकरण में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी अवश्य बताई जानी चाहिए थी ताकि वह अपने विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सके। याचिकाकर्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि चूंकि इस प्रतिकूल टिप्पणी से स्थायीकरण, पदोन्नति और वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इसलिए देव दत्त (सुप्रा) और सुखदेव सिंह (सुप्रा) के मामले को देखते हुए, इसे अवश्य बताया जाना चाहिए था, इस पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है। यह तर्क इस न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि एसीआर एक औपचारिक दस्तावेज है जो किसी सरकारी कर्मचारी के प्रदर्शन, आचरण और क्षमताओं का एक विशिष्ट अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में मूल्यांकन करता है, जबकि कार्य और आचरण का अर्थ है कि गतिविधियों, समय और उत्पादकता पर नज़र रखने के लिए कार्य रिपोर्ट आवश्यक है, इस प्रकार दोनों अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं लेकिन नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए सामान्य उद्देश्य रखते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 29.02.2012 को हुई थी और 03.03.2012-31.03.2013 की अवधि के लिए एसीआर अच्छा था और उसे एसीआर में "बी" ग्रेड दिया गया था, इस प्रकार, उत्तरवादी के लिए इसे संप्रेषित करना आवश्यक नहीं है, इसलिए, देव दत्त (सुप्रा) और सुखदेव सिंह (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय याचिकाकर्ता को कोई सहायता नहीं देता है।

14. आगे निवेदन यह है कि विधि की सुस्थापित स्थिति को देखते हुए, नियम के अनुसार, जब किसी पदधारी को किसी पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसकी वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से गिनी जानी चाहिए, न कि स्थायीकरण दिनांक से। यह विधिक प्रस्तुति विवाद का विषय नहीं है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान में **वी विसेंट वेलंकन्नी बनाम भारत संघ** के मामले में, जो 2024 में प्रकाशित हुआ था और आईएनएससी 748, जो 30.09.2024 को निर्धारित किया गया था, अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब कोई कर्मचारी परीक्षा अवधि पूरी कर लेता है और कुछ देरी के साथ ही सही, सेवा में



स्थायी हो जाता है, तो सेवा में स्थायीकरण प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से संबंधित होगा। वैधानिक नियमों, कार्यकारी निर्देशों या अन्य किसी रूप में इस सिद्धांत से किसी भी विचलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की आवश्यकता शामिल होनी चाहिए। वर्तमान प्रकरण में, अनुवादक के पद पर याचिकाकर्ता की वरिष्ठता विलंबित स्थायीकरण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुई। किसी भी ग्रेडेशन सूची को प्रस्तुत न करने के तहत, जिसमें उत्तरवादी द्वारा अनुवादक के पद पर याचिकाकर्ता की वरिष्ठता को कम किया गया हो, प्रस्तुतियाँ काल्पनिक हैं और अस्वीकार कर दी जाती हैं।

15. जहां तक सहायक ग्रेड-I के पद पर वरिष्ठता का संबंध है, इस पर केवल उस तिथि से विचार किया जा सकता है जब वह सहायक ग्रेड-I संवर्ग में कार्यभार ग्रहण किया था। याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं दायर किए गए दस्तावेज के अनुसार, याचिकाकर्ता को 02.12.2015 को सहायक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नत किया गया है, इसलिए, उसे 02.12.2015 से सहायक ग्रेड-I के पद पर वरिष्ठता प्रदान की जाएगी, जबकि उत्तरवादी संख्या 3 को 27.01.2015 को सहायक ग्रेड-I के पद पर पदोन्नत किया गया है, इसलिए, उसे उसकी पदोन्नति की तिथि से वरिष्ठता प्रदान करना उचित है। इस प्रकार, उत्तरवादी संख्या 3 को वरिष्ठता प्रदान करने में उत्तरवादी की ओर से कोई अवैधता नहीं है और याचिकाकर्ता की अनुवादक के पद पर कोई वरिष्ठता प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रही है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया यह निवेदन कि विलंबित पुष्टिकरण के कारण अनुवादक के पद पर उसकी वरिष्ठता उत्तरवादी द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है, सत्य से कोसों दूर है और इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए और तदनुसार, इसे अस्वीकार किया जाता है।

16. उपरोक्त प्रस्तुतीकरण से यह स्पष्ट है कि मानित स्थायीकरण का कोई प्रावधान नहीं है और जब तक याचिकाकर्ता ने सफलतापूर्वक परीक्षा अवधि पूरी नहीं कर ली है, यद्यपि उसे एसीआर में अच्छे ग्रेड दिए गए थे, फिर भी उसका कार्य और आचरण औसत था और अच्छा नहीं था, उसे स्थायीकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया, इस प्रकार, दिनांक 07.09.2015 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/6) और दिनांक 15.10.2015 का शुद्धिपत्र इस न्यायालय द्वारा अभिखंडित किए जाने योग्य नहीं है। तदनुसार, रिट याचिका योग्यता से रहित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है तथा इसे एतद्वारा खारिज किया जाता है।

सही/-
(नरेंद्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

